न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 03/2018 अपील/बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 06.04.2018
निर्णय दिनांक– 25.07.2019

श्री बारजी उर्फ वारजी पिता श्री वागजी उर्फ वागुजी भील निवासी हवाई पट्टी तलवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री वीरजी पिता श्री नगजी भील निवासी सिंगपुरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, घाटोल

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री सत्यप्रकाश व्यास : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री प्रकाश पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाशक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
के प्रकरण संख्या 43/2015 निर्णय दिनांक 03.06.2015

निर्णय

दिनांकः 25.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल के प्रकरण संख्या 43/2015 निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 14.09.2016 को पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाप्ता मियाद एवं दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन भी पेश किये।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुडासेल तहसील घाटोल में अपीलान्ट के खातेदारी भूमि सेटलमेन्ट के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उनका नाम वीरजी पिता श्री वागजी दर्ज था। वीरजी के नाम का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिथ्या

तथ्यों पर स्वयं का नाम वीरजी पिता श्री नगजी होना बताकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घाटोल (न्याय आपके द्वार 2015, केम्प मुडासेल के दौरान) के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अंतर्गत खाता दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र का प्रस्तुत कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर ग्राम सिंगपुरा की विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के नाम के बजाय विरजी पिता नगजी के नाम के शुद्धिकरण किये जाने का आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री प्रकाश पालीवाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की दिनांक 19.02.2019 को बहस मियाद, दफा 96 एवं आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी पर एवं मूल अपील पर सुनी गई।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3.6.2015 में अपीलान्ट के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार होने के बावजूद उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा उसे आदेश दिनांक 3.6.2015 की पूर्व जानकारी होने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना, सिर्फ तहसीलदार को पक्षकार बनाकर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है। प्रकरण में अपीलान्ट विवादित भूमियों का राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज होने के कारण आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है। अतएव उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में अब हम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवाने के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा समस्त दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत दस्तावेजात है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया, अतएव अपील स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रांसगिकता एवं सुसंगतता होने के कारण आवेदन स्वीकार कर पेश शुदा दस्तावेजात को रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

दौराने मूल अपील बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत जांच एवं अपीलान्ट को सुने बिना निर्णय पारित किया है। प्रकरण में अपीलान्ट के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1399/1099 रकबा 5 बीघा भूमि उसके द्वारा गागंजी पिता परथा भील से दिनांक 15.7.1977 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी तथा नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 30.10. 1977 से यह अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार अपीलान्ट के नाम दर्ज आराजी संख्या 1405/1099 रकबा 5 बीघा भूमि उसने हकरिया पिता गोतिया भील से पंजीकृत विक्रय–पत्र से दिनांक 18.07.1977 को क्रय की थी, जो नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 30.10.1977 से उसके खातेदारी में दर्ज हुआ। अभी भी इन भूमियों पर उसका कब्जा है। साबिक सर्वे नम्बर 1405/1099 का हाल सर्वे नम्बर 1963 तथा सर्वे नम्बर 1399/1099 का हाल सर्वे नम्बर 1884 एवं 1956 बने है, जो वागजी अपीलान्ट के नाम दर्ज है। सेटमेन्ट के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट का नाम विरजी पिता वागजी दर्ज कर दिया, उसी का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के नाम का दुरूपयोग कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वंय का नाम वीरजी पिता नगजी होना बताकर कपटपूर्वक राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रेकर्ड एवं साक्ष्यों अनुसार त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

हमारे द्वारा उभय अधिवक्ताओं की सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड व पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर सिर्फ तहसीलदार को सुनकर पटवारी की रिपोर्ट जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है, के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण में अपीलान्ट को

सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वह रेकर्ड अनुसार दर्ज खातेदार है। हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी नम्बर जिनका अपीलान्ट विधिवत क्रय से खातेदार है, उसके (वारजी पिता वागजी) स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वीरजी पिता नगजी को खातेदार घोषित कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत दस्तावेजात, मिलान क्षेत्रफल, निर्वाचन पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड प्रस्तुत किया है, जिससे सुस्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात वारजी पिता वागजी अपीलान्ट की ही है, रेस्पोडेन्ट वीरजी पिता नगजी की नहीं है तथा वारजी उर्फ वीरजी पिता वागजी (अपीलान्ट) को वीरजी पिता नगजी माने जाने का कोई आधार नहीं है। स्पष्टतया अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनो पृथक–पृथक व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यात्मक रूप से पूर्णतया गलत है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अन्तर्गत प्रकरण संख्या 43/2015 निर्णय दिनांक 3.6.2015 अपास्त किया जाता है। विवादित आराजीयात अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official